



सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण  
सीपज़ सेवा-केन्द्र भवन, सीपज़-विआक्षे  
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096.

SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY  
SEEPZ SERVICE CENTRE BUILDING, SEEPZ SEZ.  
ANDHERI (E), MUMBAI - 400 096.

SEEPZ-SEZ/DM/SDFVI/12/2016-17

13.10.2017

**CIRCULAR NO. 15**

**SUB: Removal of material kept in the common area & basement of the buildings in SEEPZ SEZ premises.**

This is to inform all occupants of SEEPZ - SEZ Authority that it has been observed by our caretakers that the materials like plastic, old chairs, unwanted scrap has been kept in the common area's & basement of the buildings. Therefore SEEPZ SEZ Authority has decided to auction all these materials kept in the common area & basement area of the buildings.

Therefore you all are hereby directed to identify your material kept in the common area & basement of the buildings & take them in to custody within 7 working days otherwise SEEPZ SEZ Authority will take this material in auction without intimation.

This issues with the approval of chairperson, SEEPZ-SEZ Authority.

(Mahesh Yadav)

Estate Manager/DDC  
SEEPZ-SEZ Authority.

To,

All units and Public Utilities,

Copy to:

1. Specified Officer.
2. Assistant Security Officer.
3. Caretakers.
4. Estate Section -Circular File

अध्यक्ष Chairperson 28290856

सचिव Secretary 28294770

प्रबंधक (संपदा) Manager (Estate) 28294770

फैक्स / Fax : 28291385 / 28291754

ई-मेल / E-mail : dcseepz-mah@nic.in

वेबसाइट / Website : www.seepz.gov.in

सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण के बढ़ते कदम - राजभाषा के संग



सत्यमेव जयते

सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण  
सीपज़ सेवा-केन्द्र भवन, सीपज़-विआक्षे  
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096.

SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY  
SEEPZ SERVICE CENTRE BUILDING, SEEPZ SEZ.  
ANDHERI (E), MUMBAI - 400 096.

सं.सीपज़-सेज़/डीएम/एसडीएफवीआइ/12/2016-17/

दिनांक: 13.10.2017

### परिपत्र संख्या - 15

विषय: सीपज़-सेज़ परिसर के भवनों के साझा क्षेत्र (कॉमन एरिया) तथा तहखाने (बेसमेंट) में रखी गई सामग्रियों के हटाए जाने के संबंध में।

सीपज़-सेज़ प्राधिकरण के सभी अधिभोगियों (ऑक्यूपेंटों) को यह सूचित किया जाता है कि अभीक्षकों (केयरटेकरों) ने कार्यालय को यह बताया है कि भवनों के साझा क्षेत्र तथा तहखाने में प्लास्टिक, पुरानी कुर्सियां जैसी बेकार रद्दी सामान रखवाए गए हैं। अतएव, सीपज़-सेज़ प्राधिकरण ने यह निर्णय किया है कि भवनों के साझा क्षेत्र तथा तहखाने में इस प्रकार रखी गई इन बेकार सामग्रियों की निलामी की जाए।

अतएव, आप सब को इसके द्वारा निदेश दिया जाता है कि 07 कार्य दिवसों के अंदर भवनों के साझा क्षेत्र तथा तहखाने में रखी गई सामग्रियों को चिह्नित करें तथा इन्हें अपनी अभिरक्षा (कस्टडी) में लें अन्यथा बिना किसी सूचना के सीपज़-सेज़ प्राधिकरण द्वारा ये सामग्रियां निलाम कर दी जाएंगी।

यह अध्यक्ष, सीपज़-सेज़ प्राधिकरण के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(महेश यादव)

संपदा प्रबंधक / उविआ  
सीपज़-सेज़ प्राधिकरण

प्रति:

सभी यूनिट तथा जनोपयोगी सेवाएं

प्रतिलिपि:

1. विनिर्दिष्ट अधिकारी
2. सहायक सुरक्षा अधिकारी
3. अभीक्षक
4. संपदा अनुभाग - परिपत्र फाइल

अध्यक्ष Chairperson 28290856

सचिव Secretary 28294770

प्रबंधक (संपदा) Manager (Estate) 28294770

फैक्स / Fax : 28291385 / 28291754

ई-मेल / E-mail : dcseepz-mah@nic.in

वेबसाइट / Website : www.seepz.gov.in

सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण के बढ़ते कदम - राजभाषा के संग